न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 12 / 19

रज्जू दिनांक 28–01–2019

पीठासीन अधिकारी

श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

1. रामस्वरूप
2. रामवतार

पि0 सुखजी जाति मीना निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. मागचन्द
2. धुलचन्द
3. रामखिलाडी

पि0 भंवरपाल उर्फ मोहरपाल

4. ग्यारसी बेवा भंवरपाल उर्फ मोहरपाल
5. रामसहाय पुत्र कल्या
6. बच्ची बेवा मूल्या
7. रमेश पुत्र मूल्या

जाति मीना निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

8. उप पंजियक महोदय लालसोट तहसील लालसोट
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

निर्णय

दिनांक : 8/4/2021

संक्षिप्त मे इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र विभाजन आराजी खसरा नं0 157 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 162 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। आराजी वादग्रस्त कानूनन अविभाजित है परन्तु पक्षकारान ने मौके पर बहामी तौर पर विभाजन कर रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अपने अपने हिस्से का लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। उक्त आराजी पहले उबड़ खाबड थी जिसे वादीगण ने अपने हिस्से को मेहनत व परिश्रम से तथा लाखो रूपये खर्च कर उपजाऊ व समतल बनाया है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई सरोकार वास्ता नही है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है तथा उक्त आराजी का जो हिस्सा एन.एच. एक सौ अड़तालीस एन. मे अवाप्त किया जा रहा है। वह वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का है ऐसे मे अन्य खातेदारान मुआवजा राशि लेने के लिए तैयार है लेकिन अवाप्त की गई आराजी के बदले कम हुई वादी के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

की भूमि का पुर्नभरण अपने हिस्से की आराजी मे से करने को तैयार नही है इसलिए अवाप्त की जा रही भूमि के मुआवजा वितरण को लेकर वादी तथा प्रतिवादीगण के बीच आपस मे विवाद है। आराजी वादग्रस्त का राजस्व रिकार्ड मे विभाजन नही होने से आये दिन वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के बीच अपनी अपनी सिमाओं को लेकर विवाद पैदा हो जाता है तथा आराजी वादग्रस्त में मौके पर मौजुद विभाजन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे नही होने से पक्षकारान मुकदमा के बीच कई मर्तबा लड़ाई झगडे व फौजदारी की सूरत पैदा हो जाती है। इस वाद पत्र में वादी ने दिनांक 25–01–19 को वाद कारण पैदा होना बताया है। तथा मुख्य अनुतोष में वादी ने उक्त आराजीयात की मौके अनुसार कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने की प्रार्थना की है। इस पर वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। वाद पत्र के समर्थन मे प्रतिवादीगण की ओर से सहमति के आधार पर विभाजन किये जाने की सहमति प्रदान की। तदुपरान्त प्रकरण मे दिनांक 22–01–21 को प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार लालसोट द्वारा मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी कुर्रेजात 3–3 प्रतियो मे न्यायालय मे प्रस्तुत किये है। जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में बहस अंतिम वकील उभयपक्षकारान सूनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी का वाद अन्तिम रूप से पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर डिक्री जाकर तहसील लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात आराजी खसरा नं0 157 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 162 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा 13 बिस्वा वाकै ग्राम देवली तहसील लालसोट वाली भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक– पृथक लगान का निर्धारण कर दिया जावे एवम् पक्षकारान बैंक ऋण प्राप्तकर्ता अपना अपना ऋण स्वंय वहन करेगें। तहसीलदार लालसोट को कुर्रेजात की एक प्रति इस निर्णय के साथ भिजवायी जावे। प्रकरण मे डिकी पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 8/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दप्तर हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज०